(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 30/2024–**25**
नई दिल्ली, दिनांकः 18 सितंबर, 2024

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 08028010 के तहत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 03.07.2023 की अधिसूचना सं. 17/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्त (ग) (i) में निम्नानुसार संशोधन करती हैः **(संशोधन बड़े अक्षरों में दर्शाए गए हैं)**

संशोधित नीतिगत शर्त

(ग) भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना प्रति वर्ष 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी जाएगी। ऐसे आयात की अनुमतिः

(i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी), एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) **एलसीएस हतिसर (आईएनएचटी5बी) और एलसीएस दरांगा (आईएनडीआरजीबी)** के माध्यम से और,

(ii) डीजीएफटी द्वारा वैध पत्तन–विशिष्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।

अधिसूचना का प्रभावः

विद्यमान दो पत्तनों के अतिरिक्त, भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना 17,000 मीट्रिक टन ताज़ा (हरी) सुपारी का आयात **एलसीएस हतिसर (आईएनएचटी5बी) और एलसीएस दरांगा (आईएनडीआरजीबी)** के माध्यम से भी अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2[ए]/भाग–III/ई–8258 से जारी)